

न्यायालय, अपर समाहर्ता गुमला

अनुसूची - 14 - फारम सं० - 563

आदेश - फलक
(देखें अभिलेख हस्तक, 1942 का नियम - 129)

सुकरा उरॉव वगै०
बनाम
सरकार वगै०

आदेश फलक तारीख.....से.....तक। जिला - गुमला

वाद सं० :- 25/2016-17

T.R 04/2016-17

वाद का प्रकार :- विविध वाद (Misc.Case)


अपीलार्थी श्री सुकरा उरॉव पिता-स्व० जतरु उरॉव बगैरह ग्राम-कुदरा थाना-सिसई जिला-गुमला के द्वारा एस०ए०आर० वाद संख्या-24/2003'-2004 में छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम-1908 की धारा-48 का उलघन किये जाने का उल्लेख करते हुए उपायुक्त गुमला के न्यायालय में **Miscellaneous Petition** दाखिल किया गया है।


उपायुक्त गुमला के न्यायालय में दायर वाद को प्रभारी उप समाहर्ता जिला विधि शाखा गुमला पत्रांक-605/विधि दिनांक-03.09.2016 के द्वारा अग्रेतर कार्रवाई हेतु अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में हस्तांतरित किया गया।

अभिलेख फलक के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलार्थी लगातार कई तिथियों से अनुपस्थित है। इससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि अपीलार्थी को इस वाद से कोई अभिरुची नहीं रह गई है।

अतः अपील वाद की कार्रवाई बिना गुण दोष के समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित


अपर समाहर्ता,
गुमला


अपर समाहर्ता,
गुमला